संख्या-11/2023/39जेएल/22-3-2023/39जेएल/2023

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 27 फरवरी, 2023

विषय:- प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध 04 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों पर स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-1137/सामा-1(7)/वी(3)/04 बंदी/एसपी भदोही/2022, दिनांक 12-01-2023 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118, सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध निम्नलिखित 04 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि	कारागार का नाम, जहां स्थानान्तरित किया जाना है
1	2	3	4
1	विष्णु मिश्रा पुत्र श्री विजय मिश्रा	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	जिला कारागार, लखीमपुर खीरी
2	सतीश मिश्रा पुत्र श्री रामजी मिश्रा	जिला कारागार, वाराणसी	जिला कारागार, कासगंज
3	मनीष मिश्रा पुत्र श्री रामजी मिश्रा	जिला कारागार, जौनपुर	जिला कारागार, बुलन्दशहर
4	विकास मिश्रा उर्फ ज्योति मिश्रा पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा	जिला कारागार, ज्ञानपुर भदोही	जिला कारागार, ललितपुर

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी/जौनपुर/ संत रविदासनगर/लखीमपुर खीरी/कासगंज/ बुलन्दशहर/ललितपुर।

5- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।

6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर/संत रविदासनगर/लखीमपुर खीरी/कासगंज/बुलन्दशहर/ललितपुर।

7- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी, जिला कारागार, वाराणसी/जौनपुर/ ज्ञानपुर भदोही को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को सम्बन्धित कारागारों में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

8- अधीक्षक, जिला कारागार, लखीमपुर खीरी/कासगंज/बुलन्दशहर/ललितपुर।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in